न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/273/2018

उनवान

1. प्रहलाद सिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी गरवर तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. गीता देवी पत्नी जगदीश ब्राह्मण निवासी जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 28/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.6.2018

अभिभाषक : 1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राजेश मेहता, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 30.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गरवर पटवार हल्का भीमलत तहसील हुरडा में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 की सम्मिलित खाते व कब्जेकाश्त की आराजी नम्बर 71 रकबा 2 बीघा 02

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बिस्वा, आराजी नम्बर 75 रकबा 02 बिस्वा, व आराजी नम्बर 97 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा स्थित हैं। उक्त आराजियात में वादिया का 1/3 हिस्सा है व प्रतिवादी नम्बर 1 का 2/3 हिस्सा दर्ज है और इसी अनुसार पक्षकारान सम्मिलित रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। फसल काश्त करने, काटने व लगान इत्यादि जमा कराने में परेशानी रहती है अतः उक्त आराजियात का हिस्से अनुसार विभाजन कराने के लिए वादिया ने प्रतिवादी को कहा परन्तु दिनांक 10.2.2017 को प्रतिवादी ने इंकार कर दिया । अतःवादग्रस्त आराजियात की हक हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 13.6.2018 को पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक **13.6.2018** को पारित की गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी के जवाब दावे में नियत था तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिनांक 20.3.2018 को देते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.4.2018 नियत की गई। दिनांक 16.4.2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, शाहपुरा

दिनांक 16.7.2018 नियत की गई। दिनांक 16.7.2018 से पूर्व ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खेजडी पर नियत किया गया । जबकि राजस्व लोक अदालत में मात्र उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमे उभयपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण माहोल में राजीनामा प्रस्तुत किया जाता हो एवं उभयपक्ष राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं । जबकि अपीलाधीन प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया गया । जिससे अपीलार्थी/प्रतिवादी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये।

5. राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खेजडी में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 18 से 21 की पालना मे तहसीलदार द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन प्रकरण में पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है । उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी/प्रतिवादी ने असहमति व्यक्त की है। जबकि बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान द्वारा उठाये गये एजराज का मौके पर ही निस्तारण किया जाना चाहिये था।

6. अपीलाधीन प्रकरण में राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में ही बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया जाकर उपलब्ध बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। जबकि उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित होता है जिसमें

(कैला... च... ...डारा)
भू-प्रबन्ध ... एवं पदेन
राजस्व ... , भीलवाड़ा

उभयपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण माहोल में राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण उभयपक्ष करवाना चाहते हों । अपीलाधीन प्रकरण में पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी लंबित रहते हुए बिना जवाब दावा लिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । जिससे अपीलार्थी/प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल पाया है। जबकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तोवजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। उसके उपरान्त राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 18 से 21 की पालना मे उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिये थी। अपीलाधीन प्रकरण में न तो प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण में ऐसी स्थिति में तनकियात भी कायम नहीं की जा सकी । उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी समुचित अवसर प्रदान नहीं कर राजस्व लोक अदालत में बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

7. अतः अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त तनकियात कायम की जावे एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन कर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की जावे तथा राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 18 से 21 की पालना मे उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

की जाकर तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक को उपस्थित रहे।

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा